राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान, जयपुर

क्रमांकः– एफ.2 (क)(1)/(आर–357) अलेसे–I/499 दिनांकः– 9/10/19

कार्यमुक्ति आदेश

निदेशालय, कोष एवं लेखा द्वारा जारी स्थानान्तरण आदेश संख्या 109/2016–17 दिनांक 10.10.2016 द्वारा श्री रमेश चन्द मीणा (लिंक नम्बर 1939), सहायक लेखाधिकारी ग्रेड– I का स्थानान्तरण मुख्य अभियंता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, जयपुर से वित्तीय सलाहकार एवं मुख्य लेखाधिकारी, राजस्थान जल प्रदाय एवं सीवरेज प्रबंध मण्डल, जयपुर किया गया था किन्तु निदेशालय को प्राप्त सूचना के अनुसार श्री मीणा द्वारा आदिनांक तक नवीन पदस्थापन स्थान पर कार्यभार ग्रहण नहीं किया गया है।

श्री मीणा को तत्काल उनके वर्तमान कार्यालय से **दिनांक** ....9/10/19.... **मध्याह्न पश्चात एतद् द्वारा कार्यमुक्त किया जाता है** तथा निर्देश दिये जाते हैं कि चूँकि श्री मीणा का मुख्य अभियंता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, जयपुर में कार्य करने का अधिकार एतद् द्वारा समाप्त हो गया है, अतः उक्त कार्यालय से बिना किसी अन्य कार्यमुक्ति का इंतजार किए तत्काल नवीन पदस्थापन स्थान पर नियमानुसार कार्यग्रहण कर ईमेल–jdp1-ta-rj@nic.in /दूरभाष संख्या 0141–2744134/2740735 पर इस निदेशालय को सूचित करावें।

(मुकुन्द सोहोनी)
निदेशक

क्रमांकः– एफ.2 (क)(1)/(आर–357) अलेसे–I/499 दिनांकः– 9/10/19

प्रतिलिपि–सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है–

1. मुख्य अभियंता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, जयपुर को भेजकर लेख है कि सम्बन्धित लेखाकर्मी को नियोक्ता प्राधिकारी द्वारा कार्यमुक्त किए जाने के पश्चात् अब तत्काल प्रभाव से उक्त कार्मिक का आपके विभाग में राजकीय कार्य सम्पादन करने का अधिकार समाप्त हो चुका है, अतः अब से आपके विभाग में उक्त कार्मिक से कार्य लिया जाना विधिसंगत नहीं होगा। यदि नियोक्ता प्राधिकारी द्वारा कार्गिक की कार्यमुक्ति किए जाने के पश्चात् भी उक्त कार्मिक से उसके द्वारा पूर्व में धारित पद का कोई भी राजकीय कार्य आपके विभाग/कार्यालय में कराया जाता है तो उसका उत्तरदायित्व संबंधित विभाग/कार्यालय का ही होगा।
2. वित्तीय सलाहकार एवं मुख्य लेखाधिकारी, राजस्थान जल प्रदाय एवं सीवरेज प्रबंध मण्डल, जयपुर।
3. श्री रमेश चन्द मीणा, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड– I, कार्यालय–मुख्य अभियंता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, जयपुर को तत्काल पालनार्थ। नियोक्ता प्राधिकारी द्वारा कार्यमुक्त कर दिए जाने के कारण उक्त कार्यालय में राजकीय कार्य सम्पादन के अधिकार की समाप्ति के उपरांत भी यदि आपने उक्त विभाग/कार्यालय में कोई राजकीय कार्य किया तो इसे अत्यन्त गम्भीरता से लिया जाएगा, और आपके विरूद्ध यथेष्ट अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी।
4. उपनिदेशक (एसीपी) को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।

(अरविन्द दीवान)
अतिरिक्त निदेशक(कार्मिक–I)